

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर
कमांक:- व.1-3 (1) फिक्सेशन/अभि/मंत्रा/17/ 473-543 दिनांक- 8/1/2020

—: आदेश :-

वित्त विभाग की अधिसूचना एफ.14 (01)एफ.डी./नियम/2013 दिनांक 30.10.2017 (दिनांक 01.07.2013 से प्रभावी) में विभिन्न ग्रेड पे को नियमानुसार संशोधित किया गया है। उक्त अधिसूचना अनुसार संशोधन पश्चात ही राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) 2017 में वेतन नियतन किया जाना है। अतः संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस), गृह (ग्रुप-1) विभाग के पत्रांक एफ.4(20) गृह-1/19 दिनांक 05.12.2019 के निर्देशानुसार वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.10.2017 के क्रम में निम्नानुसार पे बैंड, ग्रेड पे को संशोधित किया जावे तदपरान्त कर्मचारियों के पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में प्रकरणों को संशोधित किया जावे:-

Existing				Revised			
Pay Band	Running Pay Band	Grade pay No.	Grade Pay	Pay Band	Running Pay Band	Grade pay No.	Grade Pay
4	5	6	7	4	5	6	7
PB-1	5200-20200	7	2000	PB-1	5200-20200	9A	2400
PB-1	5200-20200	8	2100	PB-1	5200-20200	9B	2400
PB-1	5200-20200	10	2800	PB-1	5200-20200	10A	2800

सम्बन्धित कार्मिकों का उपर्युक्त पै बेन्ड+ग्रेड पे में नियमानुसार संशोधन किया जाकर कार्यालयध्यक्ष द्वारा वेतन निर्धारण किया जायेगा। कार्मिकों के दिनांक 01.7.2013 से दिनांक 30.10.2017 तक की अवधि में अधिक भुगतान राशि की वसूली नहीं होगी एवं दिनांक 30.10.2017 के बाद की अवधि के अधिक भुगतान की राशि वसूलनीय होगी। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से सम्बन्धित कार्मिक की सेवा पुस्तिका में की जावें।

— S4 —

(एस0एन0ब्यास)

निदेशक अभियोजन
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस), गृह (ग्रुप-1) विभाग शासन सचिवालय जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (अभियोजन/न्याय) राजस्थान जयपुर
3. उप/सहायक निदेशक अभियोजन, (मुख्यालय) राजस्थान जयपुर।
4. समस्त उप/सहायक निदेशक अभियोजन राजस्थान
5. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन, राजस्थान जयपुर।
6. संस्थापन/प्रशासनिक/अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, अभियोजन निदेशालय, जयपुर।
7. प्रभारी, सहायक लेखाधिकारी, प्रथम (अंकेक्षण)/मुख्यालय उक्त अधिसूचना दिनांक 30.10.2017 के क्रम में वेतन नियतनों की समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही करे।
8. समस्त संस्थापन/लेखा शाखा, अभियोजन निदेशालय जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

निदेशक अभियोजन
राजस्थान, जयपुर